न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 746 सन 2019

अनवान :–

1. राजकरण पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी डुगारार तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भैराराम पुत्र बरतीराम जाति जाट निवासी डुगासर तहसील नोहर।
2. प्रताप पुत्र आदराम जाति जाट निवासी डुगारार तहसील नोहर
3. ताराचन्द पुत्र आदराम जाति जाट निवासी डुगासर तहसील नोहर
4. फतेहसिह पुत्र आदराम जाति जाट निवासी डुगासर तहसील नोहर
5. महेन्द्र पुत्र आदराम जाति जाट निवासी डुगासर तहसील नोहर
6. नारायणी पुत्री आदराम जाति जाअ निवासी डुगासर तहसील नोहर।
7. परमेश्वरी पुत्री आदराम जाति जाट निवासी डुगासर तहसील नोहर
8. लिलावती पत्नी मनीराम पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी डुगासर तहसील नोहर
9. राजेन्द्र पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डुगारार तहसील नोहर
10. श्रवण पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डुगासर तहसील नोहर
11. अमरसिह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डुगासर तहसील नोहर
12. कृष्ण पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डुगारार तहसील नोहर
13. रोहताश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डुगासर तहसील नोहर
14. श्योलाल पुत्र सन्तोष पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी डुगारार तहसील नोहर
15. गुडडी पुत्री सन्तोष पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी डुगारार तहसील नोहर
16. हाकम पुत्र सन्तोष पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी डुगारार तहसील नोहर
17. रणजीत पुत्र सन्तोष पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी डुगासर तहसील नोहर
18. सरबती पुत्री सन्तोष पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी डुगारार तहसील नोहर
19. चन्द्रावती पत्नी हरलाल जाति जाट निवासी डुगासर तहसील नोहर
20. इन्द्रदेव पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी डुगासर तहसील नोहर
21. शिव कुमार पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी डुगासर तहसील नोहर
22. मोहनी पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी डुगासर तहसील नोहर
23. गुडडी पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी डुगासर तहसील नोहर
24. सरवती पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी डुगारार तहसील नोहर
25. ईश्वरी पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी डुगासर तहसील नोहर
26. गीता पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी डुगासर तहसील नोहर
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25/01/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 308/294 की कुल 10.5200हैक भूमि सयुक्त तौर से जोतराम आदराम हरलाल भैरा पि0 बरतीराम बहिव 1/6 हिस्सा दर्ज है।

हरलाल , जोतराम, आदराम पि0 बस्तीराम का देहानत हो चुका है हरलाल के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 19 ता 26 है तथा आदराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2ता 7 है एवं जोतराम का लडका मनीराम व पुत्री सन्तो भी फोत हो चुकी है मनीराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 व सन्तो के वारिसान प्रतिवादी संख्या 14 ता 18 है जो वाद भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 308/294 की कुल 10.5200हैक भूमि में सयुक्त तौर से जोतराम आदराम हरलाल भैरा पि0 बस्तीराम का बहिव 1/6 हिस्सा दर्ज है जबकि मिसल बन्दोबस्त के अनुसार 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी में हिस्से गलत तौर से दर्ज होने के कारण जमाबन्दी में हिस्से संशोधन करवाने हेतु भैराराम बनाम रामचन्द्र दावा पेश किया गया था जिसके विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में अपील पेश करने पर अपील स्वीकार की जाकर वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 बहिब 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 ता 18 बहिबि 1/12 हिस्सा व वादी व प्रतिवादी संख्या 19 ता 26 बहिब 1/12 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया।

वादी एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिनकी चक 2 आरएमएस व चक 13 जेएसएन व चक 7 बारानी में भूमिया दर्ज है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 26 के पूर्वजो ने अपने जीवनकाल में वाद भूमि का बटवारा कर दिया था उसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 के बाहमी बटवारा में वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 20 ,21 को प्राप्त हुई थी शेष प्रतिवादी संख्या 2 ता 19 ,22 ता 26 ने अपने हको का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,20 ,21 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,20, 21 के हक हिस्सा की भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 26 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादीगण के पूर्वजो ने वादभूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है जिसमें वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,20 ,21 को प्राप्त हुई है शेष ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,20 ,21 के पक्ष मे त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,20 ,21 के कब्जा काश्त में चली आ रही है वाद भूमि बाहमी बटवारा एव हक त्याग के कारण वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,20 ,21 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 27 पैरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 26 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादीगण के पूर्वजो ने वादभूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है जिसमें वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,20 ,21 को प्राप्त हुई है शेष ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,20 ,21 के पक्ष मे त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,20 ,21 के कब्जा काश्त में चली आ रही है वाद भूमि बाहमी बटवारा एव हक त्याग के कारण वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,20 ,21 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 308/294 की कुल 10.5200हैक्‍ भूमि सयुक्त तौर से वादी एव प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उनके पूर्वजो के देहान्त होने के बाद विरासतन से हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि एवं अन्य भूमियो का भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वादी एव प्रतिवादीगण के पूर्वजो ने बाहमी बटवारा किया हुआ है बाहमी बटवारा में वादी भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,20 ,21 को प्राप्त हुई थी जो वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ,20 ,21 के कब्जा काश्त में है शेष ने अपने हको का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,20 ,21 के पक्ष में किया हुआ है वादी अपने बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 19 ,22 ता 26 ने अपने हको का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,20 ,21 के पक्ष में बाहमी बटवारा के अनुसार किया हुआ है वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,20 ,21 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में राजीनामा की प्रति पेश की गई है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 19 ,22 ता 26 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 308/294 की कुल 10.2500हैक्‍ भूमि में सयुक्त तौर से वादी एव प्रतिवादी संख्या 20 ,21 बहिब 1/12 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/12 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/01/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. राजकरण पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. भैराराम पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर।
2. प्रताप पुत्र आदराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
3. ताराचन्द पुत्र आदराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
4. फतेहसिंह पुत्र आदराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
5. महेन्द्र पुत्र आदराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
6. नारायणी पुत्री आदराम जाति जाअ निवासी डुमासर तहसील नोहर।
7. परमेश्वरी पुत्री आदराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
8. लिलावती पत्नी मनीराम पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
9. राजेन्द्र पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
10. श्रवण पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
11. अमरसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
12. कृष्ण पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
13. रोहताश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
14. श्योलाल पुत्र सन्तोष पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
15. गुडडी पुत्री सन्तोष पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
16. हाकम पुत्र सन्तोष पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
17. रणजीत पुत्र सन्तोष पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
18. सरबती पुत्री सन्तोष पुत्री जोतराम जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
19. चन्द्रावती पत्नी हरलाल जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
20. इन्द्रदेव पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
21. शिव कुमार पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
22. मोहनी पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
23. गुडडी पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
24. सरबती पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
25. ईश्वरी पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
26. गीता पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी डुमासर तहसील नोहर
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 746 सन 2020 निर्णय दिनांक– 26/01/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य साबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 308/294 की कुल 10.2500हैक भूमि में सयुक्त तौर से वादी एव प्रतिवादी संख्या 20 ,21 बहिब 1/12 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/12 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner